बैठक दिनांक 02.05.2023
संख्या : VIP-2/आठ–7–23–10जी.डी.ए./2004टी.सी.II

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **उपाध्यक्ष,**
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

2– **नगर आयुक्त,**
नगर निगम गाजियाबाद।

3– **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास
प्राधिकरण, कानपुर।

4– **प्रबन्ध निदेशक,**
दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांकः** 27 **अप्रैल, 2023**

विषय : गाजियाबाद मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत वैशाली से मोहननगर तथा इलेक्ट्रॉनिक सिटी (नोएडा सेक्टर–62) से साहिबाबाद तक विस्तारीकरण कार्य के वित्त पोषण(फंडिंग) के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पत्र संख्या–648/4/ई0ई0/जोन–1/2023 दिनांक 05.04.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लखनऊ, कानपुर, आगरा महानगरों में मेट्रो परियोजनाओं हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा किये गये वित्त पोषण के अनुरूप ही जनपद गाजियाबाद में भी वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो विस्तारीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक सिटी (नोएडा सेकटर–62) से साहिबाबाद तक मेट्रो रेल परियोजना के विस्तारीकरण कार्य के वित्त भार का वहन शासन द्वारा किये जाने का अनुरोध किया गया है। ।

2– प्रश्नगत प्रकरण में विचार–विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे लाल बहादुर शास्त्री भवन, प्रथम तल स्थित उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक आहूत की गयी है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्धारित बैठक में नियत तिथि व समय पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित **वीडियो कान्फ्रेन्सिंग** के माध्यम से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
27.4.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

(1) **अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निर्धारित बैठक में किसी भिज्ञ अधिकारी को नियत तिथि व समय पर प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(2) **आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निर्धारित बैठक में नियत तिथि व समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
/
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O-9001-2015 एवं I.S.O-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्र संख्या 648/4/ई0ई0/जोन–1/2023 दिनांक 05/04/2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय :– **गाजियाबाद मेट्रो रेल विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत वैशाली से मोहननगर तथा इलैक्ट्रोनिक सिटी (नोएडा सेक्टर–62) से साहिबाबाद तक विस्तारीकरण कार्य के वित्त पोषण (फंडिंग) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा गाजियाबाद में मेट्रो सेवाओं का विस्तार किये जाने हेतु वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो विस्तार पर रू0 1808.22 करोड़ तथा इलैक्ट्रोनिक सिटी (नोएडा सेक्टर–62) से साहिबाबाद तक मेट्रो विस्तार पर रू0 1517.00 करोड़ का व्यय आंकलित करते हुए संशोधित डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित करते हुये यह भी अवगत कराया गया था कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के फलरूवरूप विकसित की जा रही योजनाओं के निर्माण/विकास कार्य प्रभावित हो रहे है एवं नगरीय अवस्थापना निधि में भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नही होने के फलस्वरूप प्रश्नगत् मेट्रो परियोजना के वित्त पोषण पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन से अनुरोध किया गया था कि प्रश्नगत् परियोजना की कुल लागत रू0 3525.22 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ लखनऊ, कानपुर, आगरा महानगरों में मेट्रो परियोजनाओं हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा किये गये वित्त पोषण के अनुरूप ही इस परियोजना हेतु भी कम से कम 50 प्रतिशत अशंदान की फंडिंग/अनुदान स्वीकृति करते हुए पूर्व की भांति दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से रोलिंग स्टॉक का भार वहन करने के अनुरोध सहित आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में शासन द्वारा पंत्राक पत्र सं0 1543/ आठ–7–22–10 जी0डी0ए0/2004 टी.सी. II दिनांक 10.01.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश में वर्तमान में लखनऊ, कानपुर व आगरा शहरों में मैट्रो परियोजनाएं पूर्व में संचालित है, तथा गोरखपुर में मैट्रो लाईट परियोजना भारत सरकार में अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त एन.सी.आर. में आर0आर0टी0एस0 संचालित है। इन परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा निवेश व ऋण के रूप में काफी अधिक धनराशि का व्यय किया जाना है। अतः राज्य सरकार के संसाधनों को देखते हुये गाजियाबाद मैट्रो के उक्त विस्तारीकरण में धनराशि निवेश करने का औचित्य प्रतीत नही होता है। डी0एम0आर0सी0, सम्बन्धित प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से उक्त विस्तारीकरण परियोजना का वित्त पोषण करने पर विचार किया जा सकता है, साथ ही साथ प्रश्नगत् परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

आज दिनांक 05.04.2023 को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा गाजियाबाद जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में प्रश्नगत् मेट्रो विस्तार के सन्दर्भ में भी चर्चा हुई तथा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सहित समस्त बिन्दुओं से मा0 उप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया। तत्क्रम में मा0 उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वैशाली से मोहननगर तथा इलैक्ट्रोनिक सिटी (नोएडा सेक्टर–62) से साहिबाबाद तक मेट्रो विस्तारीकरण कार्य की परियोजना को स्वीकृति एवं शासन से वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया।

मा0 उप मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के अनुपालन में वैशाली से मोहननगर तथा इलैक्ट्रोनिक सिटी (नोएडा सेक्टर–62) से साहिबाबाद तक मेट्रो विस्तारीकरण कार्य की परियोजना लागत रू0 3325.22 (रूपये तीन हजार तीन सौ पच्चीस करोड़ व बाइस लाख मात्र) की स्वीकृति एवं उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की भांति राज्य सरकार से कम से कम 50 प्रतिशत अशंदान की फंडिंग/अनुदान की स्वीकृति प्रदान करते हुये पूर्व की भांति दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से रोलिंग स्टॉक का भार वहन करने के अनुरोध सहित आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि लखनऊ, कानपुर, आगरा महानगरों में मेट्रो परियोजनाओं हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा किये गये वित्त पोषण के अनुरूप ही जनपद गाजियाबाद में भी वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो विस्तारीकरण तथा इलैक्ट्रोनिक सिटी (नोएडा सेक्टर–62) से साहिबाबाद तक मेट्रो रेल परियोजना के विस्तारीकरण कार्य के वित्त भार का वहन शासन द्वारा किये जाने का कष्ट करें, जिससे कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप मेट्रो सम्बन्धी कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सकें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सिंह)
उपाध्यक्ष 05/04/23

महत्वपूर्ण
शीघ्र प्रेषित
13/04/2023